बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(प0चम्पारण)–82 / 2020......6863 **पटना, दिनांक** :– 08/09/2023

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, प0चम्पारण(बेतिया) के पत्रांक 356 दिनांक 18.05.2023 द्वारा श्री मंजीत कुमार 'मोनू', विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03742) के विरूद्ध प्रतिवेदित किया गया है कि ये अपने नव पदस्थापित शिविर से विगत 03 माह से अनुपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि कार्यहित में इनका स्थानान्तरण चनपतिया शिविर संख्या – 02 में से नौतन शिविर संख्या – 01 में किया गया है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 4940 दिनांक 15.06.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग इस शर्त्त के साथ की गयी है कि निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा। इतने स्पष्ट निदेश के बावजूद भी इनके द्वारा लगभग दो माह बाद भी स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है, जो वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है।

पुनः निदेशालय पत्रांक 5848 दिनांक 14.07.2023 द्वारा स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप बंदोबस्त पदाधिकारी से सुस्पष्ट मंतव्य की मांग की गयी है। बंदोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 580 दिनांक 01.08.2023 द्वारा मंतव्य प्रेषित किया गया है, जिसमें यह अंकित किया गया है कि ये पूर्व को लेकर मंतव्य भेजे जाने की तिथि तक लगभग 05 माह से अनुपस्थित हैं और अपने अनुपस्थिति के विरूद्ध कोई आवेदन भी उनके समक्ष समर्पित नहीं किये हैं, इस परिपेक्ष्य में इन पर विधि संगत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन एवं मंतव्य तथा संचिका में रक्षित अभिलेखों की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाया गया कि ये विगत 05 माह से अपने कार्य से अनुपस्थित चल रहे हैं, साथ ही साथ स्पष्टीकरण का उत्तर भी नहीं दे रहे हैं। प्रस्तुत मामले में नैसर्गिक न्याय यथा लगाए गए आरोप के विरूद्ध इन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया है, परन्तु इनके द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया जाना यह स्पष्ट करता है कि ये अपने सफाई में कोई बात कहना नहीं चाहते हैं, जो स्वेच्छाचारिता एवं आदेशोल्लंघन का परिचायक है।

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण किया जाना है, जिसमें इनकी सहभागिता की आवश्यकता है, परन्तु इनके कर्त्तव्य से अनुपस्थिति के कारण निर्धारित लक्ष्य बाधित हुआ है। अतः ऐसे कर्मी का संविदा नियोजन बनाए रखना कार्यहित में उचित नहीं होगा।

अतः **''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)''** में वर्णित प्रावधान के तहत श्री मंजीत कुमार 'मोनू', विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03742) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

8/9/23

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ह०/६०७०

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(प0चम्पारण)–82 / 2020 6863 **पटना, दिनांक** :– 08/09/2023

प्रतिलिपि :– श्री मंजीत कुमार 'मोनू', विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03742), बंदोबस्त कार्यालय, प0चम्पारण(बेतिया) को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(प0चम्पारण)–82 / 2020 6863 **पटना, दिनांक** :– 08/09/2023

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, प0चम्पारण(बेतिया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(प0चम्पारण)–82 / 2020 6863 **पटना, दिनांक** :– 08/09/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी निदेशालय अन्तर्गत R2R में संधारित श्री मंजीत की व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप